## महत्वपूर्ण एवं खास

### चार आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला

**रायपुर (आरएनएस)।** राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें राजेश अग्रवाल, धर्मेंद्र सिंह छवई, मयंक गुर्जर और पूजा कुमार को इधर से उधर किया गया है। इन तबादलों में कबीरधाम और बीजापुर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी बदल दिया गया है. इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक, राजेश अग्रवाल (2012 बैच) को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर, धर्मेन्द्र सिंह छवई (2012 बैच) को पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, मयंक गुर्जर (2020 बैच) को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बीजापुर और पूजा कुमार (2020 बैच) को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

### राज्य में अब तक हुई 8.95 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

**रायपुर (आरएनएस)।** मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सिलसिला अनवरत जारी है। 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी अभियान में अब तक 8.95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1.91 लाख किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 1575 करोड़ 16 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। अधिकारियों ने बताया कि 25 नवम्बर को 47296 किसानों से 2.17 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। इसके लिए 51170 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 53439 टोकन जारी किए गए हैं।

### संदिग्ध अवस्था में मिली शिक्षक की लाश

**बिलासपुर-रायपुर (आरएनएस)।** रविवार रात बिलासपुर पुलिस मैदान में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कवि सम्मेलन में शामिल होने रतनपुर वार्ड क्रमांक 5 कसेरपारा निवासी तीन शिक्षक भी गए थे। कवि सम्मेलन देखकर रात करीब एक- डेढ़ बजे कार से वापस लौटे। तीनों शिक्षकों को उनके घर के पास उतार दिया गया। इनमें से दो शिक्षक तो अपने घर सकुशल पहुंच गए, लेकिन पथरिया में पदस्थ शिक्षक 54 वर्षीय राजेंद्र कसेर घर नहीं पहुंचा। रातभर परिजन उसकी प्रतीक्षा करते रहे। सुबह बिकमा तालाब नेताजी स्कूल के पास सडक़ किनारे नाले के करीब संदिग्ध अवस्था में शिक्षक की लाश देखी गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शव के नाक और पसली में चोट मिले। पुलिस को आशंका है कि नशे की हालत में गिर जाने की वजह से लगी चोट के चलते राजेंद्र कसेर की मौत हुई होगी, लेकिन राजेंद्र कसेर के परिजनों ने पूरे घटनाक्रम पर संदेह जताते हुए कहा कि राजेंद्र कसेर की मौत स्वाभाविक नहीं लगती और इसकी जांच की जरूरत है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

## मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स में सभी किल्न, एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट एरिया में एक्रेशन कटिंग तथा क्लिनिंग के कार्य में श्रमिकों के कार्य करने को किया गया प्रतिबंधित

**❐ जांच में मिली कमियों के आधार पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही**

रायगढ़

मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स में बीते दिनों दुर्घटना ग्रस्त होकर एक व्यक्ति के मृत्यु के संबंध में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा प्लांट की जांच की गई। जिसमें मजदूरों की सुरक्षा को लेकर इंतेजाम में गंभीर खामियां पाए जाने पर श्रमिकों के सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कारखानें में स्थापित समस्त किल्न, एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट एरिया में एक्रेशन कटिंग तथा क्लिनिंग के कार्य में श्रमिकों के कार्य करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने उद्योगों में श्रमिकों की सुरक्षा में लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए मनीष श्रीवास्तव उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ने बताया कि 25 नवंबर 2024 को मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स की जांच किये जाने पर पाया गया कि किल्न क्रमांक 3 के आउटलेट प्लेटफार्म (सीबी प्लेटफार्म) पर किल्न के अंदर घुसने की सुरक्षित व्यवस्था नहीं की गयी थी। किल्न, एबीसी चेम्बर तथा एल्बो डक्ट के अंदर घुसने के पूर्व आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण फुल बॉडी हार्नेस का उपयोग करना सुनिश्चित नहीं किया गया ना ही अंदर घुसने वाले श्रमिकों का कोई रिकार्ड मेंटेन किया गया। एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट के अंदर कार्य करने के दौरान श्रमिक के नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना पूर्णत: विद्यमान थी। इस खतरनाक तरीके से किल्न, एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट के अंदर सफाई का कार्य किये जाने की स्थिति में कार्यरत श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना पूर्णत: विद्यमान है।

अत: दुर्घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात् वहां मौजूद खतरनाक कार्यदशाओं को दृष्टिगत रखते हुए उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, छ.ग. शासन रायगढ़ कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 (2) में प्रदत्त शक्तिओं के तहत कारखाना प्रबंधन को कारखानें में स्थापित समस्त किल्न, एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट एरिया में एक्रेशन कटिंग तथा क्लिनिंग के कार्य में श्रमिकों के कार्य करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि उक्त कार्य प्रारंभ करने के पूर्व किल्न, एबीसी चेम्बर तथा एल्बो डक्ट में प्रवेश की एक सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर ली जाती है। किल्न, एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट एरिया में एक्रेशन कटिंग तथा क्लिनिंग के कार्य में नियोजित श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेफ्टी शूज, हेलमेट, हेपा फिल्टर, गोगल्स एवं फूल बॉडी हार्नेस प्रदान कर इसका प्रयोग किया जाना सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है। किल्न, एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट एरिया तथा अन्य इस तरह के कन्फाईण्ड स्पेस में प्रवेश के पूर्व उक्त कार्य के लिये श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्कील मेपिंग सुनिश्चित नहीं कर ली जाती है। श्रमिकों के इस तरह के कार्यस्थल में प्रवेश करने एवं निकलने की जानकारी निर्धारित पंजी में दर्ज किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर ली जाती है। किल्न, एबीसी चेम्बर व एल्बो डक्ट एरिया में एक्रेशन कटिंग तथा क्लिनिंग के कार्य में नियोजित श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान नहीं कर दिया जाता है, कार्यस्थल पर उपस्थित रहने वाले खतरों की जानकारी उन्हें नहीं दे दी जाती है और कार्य के दौरान समुचित सुपरविजन सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता है। यह सारी व्यवस्थाएं पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी कारखाना प्रबंधन को दिए गए हैं।

## जिले के 104 अमृत सरोवर स्थलों पर मनाया गया संविधान दिवस

**❐ भारतीय संविधान की उद्देशिका की सामूहिक पाठन एवं पौध रोपण कर लोगों को जल संरक्षण के लिए किया गया जागरूक**

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में आज जिले के सात विकास खंड के 104 अमृत सरोवर स्थलों में संविधान दिवस का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में भारतीय संविधान की उद्देशिका के सामूहिक पाठन किया गया। जिसका उद्देश्य संविधान के प्रति नागरिकों को जागरूक करना और उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का महत्व समझाना था। आयोजित कार्यक्रम में जनसामान्य ने रैली निकालकर संविधान के प्रति जागरूक करते हुए पर्यावरण संरक्षण हेतु पौध रोपण भी किया। इस दौरान जल संरक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए जल संरक्षण के उपायों के संबंध में जानकारी दी। साथ ही वर्मी कम्पोस्ट के स्थल का चिन्हांकन के विषय पर जनसामान्य को जागरूक किया। सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव के निर्देश पर जनपद पंचायत सीईओ एवं मनरेगा कार्यक्रम अधिकारियों ने आवश्यक तैयारियां की गई थी। इस अवसर पर सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पंच, मितानिन, महिला समूह सहित बड़ी संख्या में जनसामान्य उपस्थित रहे।

## पर्यावरण विभाग द्वारा बीते एक वर्ष में उद्योगों पर लगाया गया 2 करोड़ का जुर्माना

**❐ अवैध फ्लाई ऐश परिवहन और डंपिंग पर 1 करोड़ 70 लाख का जुर्माना, बिना तारपोलिन ढकें परिवहन पर 18 लाख रूपए और उत्सर्जन मानक निर्धारित सीमा से अधिक होने पर 8.70 लाख का लगाया गया अर्थ दंड**

**❐ नवंबर माह में उद्योगों पर 2 लाख पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गई अधिरोपित**

रायगढ़। क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ द्वारा इस शीत ऋतु में वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियान चलाकर उद्योगों की आकस्मिक जांच में तेजी लाते हुये जल एवं वायु अधिनियमों के तहत् तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि कार्यालय द्वारा माह नवम्बर 2024 में जिला-रायगढ़ में संचालित वृहद-मध्यम श्रेणी के उद्योगों-मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, मेसर्स सुनील इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, मेसर्स सन स्टील एण्ड पावर प्रा. लिमिटेड, मेसर्स श्याम इस्पात (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स एन.आर.व्ही. एस.स्टील्स लिमिटेड, मेसर्स सिंघल इनर्जी लिमिटेड, मेसर्स स्केनिया स्टील एण्ड पॉवर्स लिमिटेड में निरीक्षण के दौरान वायु प्रदूषण पाये जाने पर कुल 2 लाख रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय द्वारा फ्लाई ऐश के अवैध परिवहन तथा डम्पिंग की कड़ी निगरानी की जा रही है एवं उल्लंघनकारियों के विरूद्ध सतत् कार्यवाही की जा रही है। विगत 01 वर्ष की अवधि में उक्त के उल्लंघन के संबंध में कार्यालय द्वारा कुल 1 करोड़ 70 लाख 820 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही उक्त अवधि में ही उत्सर्जन मानक निर्धारित सीमा से अधिक होने पर कुल 11 उद्योगों के विरूद्ध 8 लाख 70 हजार रूपये तथा बिना तारपोलिन ढके सामग्रियों का परिवहन करने पर 08 उद्योगों के विरूद्ध 18 लाख 62 हजार 415 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करने की कार्यवाही की गई है। ये कार्यवाहियां सतत रूप से जारी है।

शीत ऋतु में वायुमण्डल में कोहरे तथा थर्मल इन्वर्शन (ताप व्युत्क्रमण) की घटनाएँ सामान्यत: घटित होती है, जिसके फलस्वरूप वातावरण में धूल कण एवं अन्य प्रदूषकों के निलबिंत होने से परिवेशीय वायु की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩे एवं वायु प्रदूषण के सघन होने की संभावना अधिक होती हैं। इसको लेकर संयुक्त विभागीय टीम बनाकर लगातार जांच और कार्यवाही की जा रही है।

## सड़क दुर्घटना में घायल साथी को अस्पताल पहुंचाने की बजाय भाग गए दोनों साथी

**❐ चक्रधरनगर पुलिस ने दोनों युवकों पर गैर इरादतन हत्या का मामला किया दर्ज, आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल**

**❐ सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करें, "गुड सेमेरिटन" का परिचय दें-एडिशनल एसपी आकाश मरकाम**

रायगढ़

सड़क दुर्घटना में घायल साथी को अस्पताल पहुंचाने की बजाय, भागने वाले दो युवकों पर चक्रधरनगर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी आकाश मरकाम ने ऐसे मामलों में "गुड सेमेरिटन" की भावना से घायल की मदद करने की अपील की है।

जानकारी के अनुसार, थाना चक्रधरनगर के मर्ग कमांक 111/2024 धारा 194 बीएनएसएस के मृतक सुधीर सा पिता श्रीचरण सा उम्र 26 वर्ष साकिन बेलरिया थाना चकधरनगर की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के संबंध में अस्पताली मेमो पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर पंचनामा कार्यवाही किया गया। शव निरीक्षण में मृतक के सिर तथा अन्य भागों में चोट आना पाया गया है। मृतक के मृत्यु संबंध में पीएम रिपोर्ट प्राप्त किया गया तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतक के वारिसान और गवाहों के कथन लिए गये, जिसमें पाया गया कि घटना दिनांक 13.10.2024 के शाम को सुधीर सा (मृतक), अजय निषाद और अलेख साय एक ही मोटर सायकल प्लेटिना कमांक सीजी 13 एएस 5615 से ग्राम महापल्ली दुर्गा देखने जा रहे थे। मोटर सायकल को अलेख साव चला रहा था, बीच में अजय निषाद और पीछे सुधीर सा बैठा हुआ था। ग्राम महापल्ली बेरियर के पास मुख्य मार्ग में मोटर सायकल सहित तीनों गिर गये जिसमें सुधीर सा के सिर एवं शरीर में अंदरूनी चोंट आया जो घटना स्थल पर ही बेहोशी हालत में था, जिसे तत्कालिक ईलाज की आवश्यकता थी। घटना स्थल से लगभग 02 किमी की दूरी पर ही ग्राम लोईंग स्वास्थय केन्द्र है तथा घटना स्थल से लगभग 08 किमी की दूरी पर आलेख का गांव बेलरिया स्थित है। उसके दोनों दोस्त अजय निषाद और अलेख साय ने सुधीर को अस्पताल न ले जाकर अपने दोस्त को बुलाये और ग्राम बेलरिया के बाहर एक बाडी में घायल सुधीर को छोड़े और सुधीर के परिजन को बिना सूचना दिये अपने-अपने घर चले गये। ग्रामवासी के माध्यम से काफी समय बाद सुधीर के घरवालों को एक्सीडेंट की जानकारी मिली और सुधीर को अस्पताल लेकर गये, जहां ईलाज दौरान सुधीर सा का दिनांक 15.10.2024 को मृत्यु हो गया है। मृतक के दोस्त अजय निषाद एवं अलेख साव यह भली भांति जानते थे कि सुधीर को अस्पताल न ले जाने से उसकी मृत्यु संभाव्य है और बिना सुधीर के परिजन को बिना सूचना दिये गांव के बाहर बाडी में छोडकर भाग गये। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव द्वारा मर्ग जांच पर दोनों आरोपित (1) अलेख साव पिता दिनेश साव उम्र 24 वर्ष साकिन बेलरिया थाना चकधर नगर जिला रायगढ (2) अजय निषाद पिता मुनूराम निषाद उम्र 27 वर्ष साकिन करकछार थाना तमनार हाल मुकाम ग्राम बेलरिया जिला रायगढ़ के विरूद्ध अप.क्र. 536/2024 धारा 105, 3(5) बीएनएस के तहत आज अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों की छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया और दोनों को रिमांड पर पेश कर जेल दाखिल किया गया है। एडिशनल एसपी आकाश मरकाम ने कहा कि घायल व्यक्ति की सहायता करना मानवीय कर्तव्य है। "गुड सेमेरिटन" कानून के तहत सहायता करने वाले लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने आम जनता से अपील की कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की तुरंत मदद करें और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में देरी न करें।

## संगवारी जेण्डर संसाधन केंद्र का हुआ उद्घाटन

रायगढ़

घरेलु हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए रायगढ़ ब्लॉक के कुसमुरा के नारी एकता संकुल संगठन भवन में संगवारी जेण्डर संसाधन केंद्र का लोकार्पण किया गया। यह केंद्र पीड़ित महिलाओं को उनके समस्याओं को समझने और हल करने में सहयोग प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत इस योजना की शुरुआत होने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य घरेलु हिंसा की शिकार महिलाओं को न केवल सुरक्षा प्रदान करना है, बल्कि उन्हें एक नया जीवन शुरू करने के अवसर देना भी है। केंद्र में जागरूक और सक्रिय महिलाओं को शामिल किया जा रहा है, जो समूह बनाकर पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने में सहायता करेंगी।

उक्त आयोजन में जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, कुसमुरा सरपंच-श्री सनत नायक, बीडीसी चंचला साव-कुरमापाली, कोतरा रोड थाना प्रभारी शिवानन्द त्रिपाठी, विधि सलाहकार हेमलता प्रधान, जिला पंचायत से जिला कार्यक्रम प्रबंधक अविक बासु, जिला कार्यक्रम प्रबंधक फिरोज खान, साथ ही डब्ल्यूसीडी की जिला महिला संरक्षण अधिकारी चैताली राय, सखी वन स्टॉप सेन्टर की पर्यवेक्षक-सुश्री विनिता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की डॉ.डॉली और बिहान समूह की समस्त दीदियां उपस्थित रही।

## बालिकाओं के कल्याण के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के खुलवाए खाता

**❐ बालिका के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक खुलवा सकते है खाता, जिले के समस्त डाकघरों में मिलेगी सुविधा**

**❐ कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने सभी प्राचार्यों को पालकों को**

**❐ योजना की जानकारी देकर लाभ लेने प्रोत्साहित करने हेतु लिखा पत्र**

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले के समस्त शासकीय एवं अद्र्धशासकीय विद्यालयों के प्रधान पाठक को बालिकाओं के कल्याण के लिए डाक विभाग एवं बैंक से समन्वय करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के अभिभावकों से संपर्क कर सुकन्या समृद्धि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए सभी पात्र बालिकाओं का अधिक से अधिक खाता खुलवाएं जाने हेतु पत्र लिखा है। कलेक्टर गोयल ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

सुकन्या समृद्धि योजनान्तर्गत एक बालिका के नाम पर केवल एक तथा एक पालक द्वारा अधिकतम दो कन्याओं के नाम पर खाते खोले जा सकते हैं। खाता बालिका के जन्म से 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही खोला जा सकता है। खाता खोलने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है किंतु उचित जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में स्कूल के हेड मास्टर, गांव के मुखिया, अस्पताल जहां बच्ची का जन्म हुआ हो, के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जाता है। यह खाता कम से कम 250 रूपये की प्रारंभिक राशि से खोला जाता है तथा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 01 लाख 50 हजार रूपये तक की राशि जमा किया जा सकता है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8.2 प्रतिशत ब्याज देय है। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूर्ण होने पर ही खाता परिपक्व होगा। बालिका के 18 वर्ष की आयु के होने पर जमा राशि से आनुपातिक राशि का आहरण किया जा सकता है एवं विवाह तय होने पर 21 वर्ष की परिपक्वता के पूर्व भी खाता बंद कराया जा सकता है। डाक विभाग में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाता खुलवाकर सुकन्या खाते से लिंक कर नेट बैंकिंग एवं राशि जमा किये जाने की सुविधा भी उपलब्ध है। यह खाता खोलने की सुविधा दूरस्थ गांव में संचालित शाखा डाकघरों में भी उपलब्ध है।

## पीएम आवास स्वीकृत ग्रामों का एसडीएम करें निरीक्षण-सीईओ जिला पंचायत यादव

**❐ हर घर जल प्रमाणीकरण के कार्यों में लाए तेजी**

**❐ विभिन्न शिकायत पोर्टल में लंबित आवेदनों का समय-सीमा में करें निराकरण**

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक लेते हुए विभागीय कार्यो के प्रगति की समीक्षा की। सीईओ जिला पंचायत यादव ने कहा कि पीएम आवास योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। सभी एसडीएम पीएम आवास स्वीकृत ग्रामों का निरीक्षण करें, साथ ही आवास की प्रगति, राशि वितरण की मॉनिटरिंग करें।

सीईओ जिला पंचायत यादव ने पीएचई विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जल जीवन मिशन अंतर्गत बनाए जा रहे उच्च स्तरीय जलागार के अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जलागार निर्माण के कार्यों में प्रगति लाए। उन्होंने जल जीवन मिशन अंतर्गत सोर्स उपलब्ध एवं अनुपलब्ध होने की स्थिति में लंबित कार्यों की भी जानकारी ली। उन्होंने हर घर जल प्रमाणीकरण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत यादव ने आगामी होने वाले प्री बोर्ड तैयारी के संबंध में शिक्षा विभाग से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्री-बोर्ड परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले बच्चों को बोर्ड परीक्षा के लिए विशेष रूप से तैयारी करवाये, जिसमें उन्हें आंसर लिखने के तरीके, डायग्राम की तैयारी के साथ ही कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

सीईओ जिला पंचायत यादव ने स्वास्थ्य विभाग से जिले के सीएचसी में पदस्थ डॉक्टरों की उपस्थिति के संबंध में विशेष निर्देश दिए। साथ ही मेडिकल कॉलेज में कचरा उठाव एवं विद्युत व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। सीईओ जिला पंचायत यादव ने विभिन्न शिकायत पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन के लंबित आवेदनों का निराकरण के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने सभी लंबित आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने जिला रोजगार अधिकारी से पीएम विश्वकर्मा योजना ट्रेनिंग की जानकारी ली, जिस पर विभागीय अधिकारी ने बताया कि 300 से अधिक युवाओं को योजनाओं से लाभांवित किया जा चुका है। उन्होंने पशुपालन विभाग से पशु गणना की स्थिति की जानकारी ली। सीईओ जिला पंचायत यादव ने महिला एवं बाल विकास तथा स्कूल विभाग को निर्देशित किया कि अनुदान प्राप्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन कराना सुनिश्चित करें।

बैठक में आयुक्त नगर निगम बृजेश सिंह क्षत्रिय, सभी एसडीएम सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

**अग्निवीर भर्ती के तैयारियों को संबंध में दिए निर्देश**

सीईओ जिला पंचायत यादव ने आगामी 4 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले अग्निवीर भर्ती रैली की व्यवस्थाओं के संबंध समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को उनके दिए दायित्वों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैक निर्माण, रहने जैसे विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी विभागीय अधिकारियों से ली।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480